मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 556/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/2010 भोपाल दिनांक 22-1-10

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/ जिला पंचायत .... (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय :– ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ :– **परिषद का पत्र क्र. 14115 दिनांक 10.11.2009**

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्तियां की जाना है। आपके द्वारा ऐसी ग्राम पंचायत चिन्हित कर ली गई होगी जिनमें कि ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्तियां की जाना है। अतः आप निम्न प्रपत्र में दिनांक 23.1.2010 तक जानकारी ई–मेल (rddmp@rediffmail.com) पर जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें :–

क्र	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	जितने ग्राम रोजगार सेवक की नियुक्ति की जाना है उनकी संख्या
1	2	3	4	5

संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अनुबंध पत्र भराये जाने हेतु अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न है। साथ ही संलग्न माईल स्टोन अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– माईल स्टोन एवं अनुबंध की प्रति

(ए0के0सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./ 557/एनआरईजीएस/स्था./एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 22-1-10

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

Letter-p1

ग्राम रोजगार सेवक के माइल स्टोन

क्र.	चेक लिस्ट	समय सीमा
1	योजना प्रारंभ से अर्थात 2006–07, 2007–08 तथा 2008–2009 से किन्हीं दो वित्तीय वर्ष में जिस ग्राम पंचायत में रू.10 लाख या अधिक प्रतिवर्ष का कार्य हुआ है, का आकलन एवं गणना करना।	25.1.2010
2	नियुक्ति हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की सहायता से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाना।	यदि जिलें में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है तो आचरण आचार संहिता पश्चात् कार्यवाही प्रारंभ करें।
3	ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी करना एवं पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित करना। (विज्ञप्ति जारी होना)	8.2.2010
4	आवेदन पत्र 15 दिवस अवधि में प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा छटनी करना।	26.2.2010
5	सभी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष रखना।	मार्च, 2010 के प्रथम सप्ताह में
6	उक्त सामान्य सभा प्रत्येक चिन्हांकित ग्राम पंचायत हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना।	2.3.2010
7	मेरिट लिस्ट एवं प्रतीक्षा सूची बनाना।	6.3.2010
8	चयन सूची का अनुमोदन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम सभन्वयक से प्राप्त करना।	16.3.2010
9	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर अनुबंध करना।	17.3.2010
10	नव नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ	25.3.2010

Letter-p1

कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम रोजगार सहायक के मध्य संविदा का प्रारूप

यह संविदा दिनांक .... माह......... वर्ष .... को एक पक्ष के रूप में श्री ...., पदनाम संविदा, ग्राम रोजगार सहायक (जो इसके पश्चात संविदा ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम में पंचायत .... कहलायगा) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कमी–म.प्र. (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) जनपद पंचायत .... जिला ....(जो इसके पश्चात नियोक्ता कहलाएगा) के बीच में निष्पादित की गई।

अतः ....(ग्राम पंचायत का नाम) में निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक .... से संविदा पर श्री .... को ग्राम रोजगार सहायक के रूप में ग्राम पंचायत ....में संविदा नियुक्ति के लिए सहमत है।

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार संविदा की जाती है :–

1. संविदा, ग्राम रोजगार सहायक का दर्जा किसी भी दशा में शासकीय सेवक का नहीं होगा।
2. यह कि कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) दिनांक .... को श्री .... को ग्राम पंचायत .... में संविदा पर ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति करता है। वह म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद का कर्मचारी होगा। (वह दिनांक .... से संविदा ग्राम रोजगार सहायक के रूप में ग्राम पंचायत की सेवा करेगा।)
3. ग्राम रोजगार सहायक को नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिये नियुक्ति किया जायेगा। उसका कार्य संतोषजनक व कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में 1 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जायेगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रू. 10 लाख से कम व्यय किया गया हो तो अगले वित्तीय

12. संविदा ग्राम रोजगार सहायक को निम्न आधार पर भी पद से पृथक किया जा सकता है :–

12.1 पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात यदि म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकती है।

12.2 जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाया जाए। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट से यह समाधान हो जाता है कि संविदा ग्राम रोजगार सहायक पद के अयोग्य है और उसके खराब स्वास्थ्य की वजह से विचारार्थ कालावधि के लिए उसके अयोग्य बने रहने की संभावना है तो उसकी सेवाएं उसे एक माह की सूचना देकर समाप्त कर दी जाएगी।

से संबंधित पुलिस थाना से सत्यापन कराना होगा। यदि सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो संविदा ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएँ तत्काल समाप्त मानी जावेगी। इस प्रकार की सेवा समाप्ति की दशा में नियोक्ता को संविदा की शेष कालावधि के लिए किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा।

15. यह कि संविदा ग्राम रोजगार सहायक को संविदा नियोजन की अवधि में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त/विहित/वांछनीय लेखा संबंधी अभिलेखों/नस्तियों/ पंजियों/ किताबो का संधारण समुचित रूप से करना होगा और उसे अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना होगा। नियोक्ता द्वारा योजनाओं से संबंधित समस्त चाही गई जानकारियां सदैव उपलब्ध कराएगा तथा योजना के आय–व्यय का लेखाजोखा सही–सही समय पर उपलब्ध कराएगा। उक्त जानकारियां/अभिलेख उसके कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे तथा उचित समय पर/निरीक्षण/अवलोकन के लिए विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अवलोकन हेतु खुला रखा जाएगा।

16. ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य स्थल से अनुपस्थिति की अनुमति नहीं होगी। संविदा अवधि के दौरान एक वर्ष में 13 दिन आकस्मिक अवकाश एवं 15 दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदाकर्मी को 90 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। यदि संविदा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर अवकाश पर जाता है तो उसके संविदा पारिश्रमिक से ऐसी अवधि के लिये अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जावेगी।

17. यह कि संविदा ग्राम रोजगार सहायक को विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित समस्त प्रशिक्षणों/कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा तथा आयोजित विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा। इन परीक्षाओं मे अनुत्तीर्ण होने की दशा में बिना कारण बताए उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार नियोक्ता को होगा।

18. यह कि संविदा ग्राम रोजगार सहायक को नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यों/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

19. इस संबंध में कोई विवाद पैदा होने पर प्रकरण जिला कार्यक्रम समन्वयक को संदर्भित किया जाएगा। इस संबंध में उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।

इस संविदा को दिनांक ....माह............... वर्ष......................को निष्पादित करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए एवं नियोक्ता के कार्यालय की मुद्रा लगाई गई।

श्री ....
संविदा ग्राम रोजगार
सहायक के हस्ताक्षर

साक्षी –

1.

2.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत (नियोक्ता)
के हस्ताक्षर, पद मुद्रा